



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, Ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 562 / अका. / डीन नियु. / 2022


बिलासपुर, दिनांक 21 NOV 2022

आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत, परिनियम क्रमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार प्रो०सीमा राय, आचार्य (जूलाजी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को कुलपति जी द्वारा जीव विज्ञान विद्यापीठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है।


यह नियुक्ति दिनांक 22-11-2022 से 21-11-2025 तक अर्थात् 03 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई है।

आदेशानुसार,


21/11/22
कुलसचिव(कार्यवाहक)/क

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर मान० कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
2. प्रो०सीमा राय, आचार्य- (जूलाजी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रो०एल.व्ही.के.एस.भास्कर, आचार्य-(जूलाजी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समन्वयक,आई.टी.सेल, संगणक विज्ञान विभाग की ओर विश्वविद्यालय वेबपटल पर अपलोड हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।


सहायक कुलसचिव (अका०)